प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ 6598-75 दिनांक 17/9/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यकम की वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत कुल रू0 **917610182.60** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **862281816.00** की धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम वि0 वर्ष 2018–19 की मंदवार विवरण

S.No	District Name	F.M.R-15.6.1 Cat.Ope. By NGO @2000 /Per	F.M.R-6.2.15.1 Cat.Ope.By Govt. Sec @1000/Per	F.M.R-15.6.2.1 Diabitic Retonopathy @ 2000/ Per	F.M.R-15.6.2.2 Childhood Blindness @ 2000/per	F.M.R-15.6.2.3 Glaucoma @2000/per	F.M.R-15.6.2.4 Keratoplasty @7500/per	F.M.R-15.6.2.5 Vitreoretinal Surgeary@ 10000/per	F.M.R-2.3.3.2 Free Spect. Sch. Children@350/ Per	F.M.R-2.3.3.3 Free Spect Old Peoples@350/ Per
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Agra	13808400	6904200	140000	140000	140000	225000	300000	1536500	768250
2	Aligarh	12354400	6177200	146000	146000	146000	210000	280000	1288350	644175
3	Allahabad	17055200	8527600	214000	214000	198000	240000	320000	2090200	1045100
4	Ambedkar Nagar	4932400	2466200	0	0	0	0	0	841050	420525
5	Amethi	3084400	1542200	0	0	0	0	0	526050	263025
6	Amroha (JP Nagar)	3164000	1582000	0	0	0	0	0	539700	269850
7	Auraiya	2822000	1411000	0	0	0	0	0	481250	240625
8	Azamgarh	6692800	3346400	0	0	0	0	0	1619100	809550
9	Baghpat	2677600	1338800	0	0	0	0	0	456750	228375
10	Bahraich	7152400	3576200	0	0	0	0	0	1219750	609875
11	Ballia	6628800	3314400	0	0	0	0	0	1130500	565250
12	Balrampur	4419200	2209600	0	0	0	0	0	753550	376775
13	Banda	3700400	1850200	0	0	0	0	0	631050	315525
14	Barabanki	6699600	3349800	0	0	0	0	0	1142400	571200
15	Bareilly	9182000	4591000	186000	186000	186000	210000	280000	1565900	782950
16	Basti	5060800	2530400	96000	96000	40000	112500	150000	863100	431550
17	Bijnor	7575200	3787600	134000	134000	132000	150000	200000	1292550	646275
18	Budaun	7634400	3817200	0	0	0	0	0	1302000	651000
19	Bulandshaha	7194000	3597000	0	0	0	0	0	1226750	613375
20	Chandauli	3398400	1699200	0	0	0	0	0	579600	289800
21	Chitrakoot	2037200	1018600	0	0	0	0	0	347550	173775
22	Deoria	6371600	3185800	0	0	0	0	0	1086750	543375

23	Etah	3621600	1810800	0	0	0	0	0	617750	308875
24	Etawah	3247200	1623600	0	0	0	0	0	553700	276850
25	Faizabad	5075600	2537800	0	0	0	0	0	865550	432775
26	Farukkhabad	3881600	1940800	0	0	0	0	0	661850	330925
27	Fatehpur	5413600	2706800	0	0	0	0	0	923300	461650
28	Firozabad	5134000	2567000	0	0	0	0	0	875700	437850
29	Gautam Buddha Nagar	4643600	2321800	0	0	0	0	0	587300	293650
30	Ghaziabad	9517600	4758800	134000	134000	132000	150000	200000	1213800	606900
31	Ghazipur	7449600	3724800	0	0	0	0	0	1270500	635250
32	Gonda	7056000	3528000	0	0	0	0	0	1203300	601650
33	Gorakhpur	11522400	5761200	106000	106000	106000	120000	160000	1555750	777875
34	Hamirpur	2270400	1135200	0	0	0	0	0	387100	193550
35	Hapur	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
36	Hardoi	8413200	4206600	0	0	0	0	0	1435000	717500
37	Hathras	3219600	1609800	0	0	0	0	0	549150	274575
38	Jalaun	3435600	1717800	0	0	0	0	0	585900	292950
39	Jaunpur	9204000	4602000	0	0	0	0	0	1569750	784875
40	Jhansi	8114000	4057000	186000	186000	186000	210000	280000	701750	350875
41	Kannauj	3409200	1704600	0	0	0	0	0	581350	290675
42	Kanpur Dehat	3691200	1845600	0	0	0	0	0	629650	314825
43	Kanpur Nagar	15403200	7701600	186000	186000	186000	210000	280000	1603700	801850
44	Kasganj	2957200	1478600	0	0	0	0	0	504350	252175
45	Kaushambi	3283600	1641800	0	0	0	0	0	560000	280000
46	Lakhimpur Kheri	8253200	4126600	0	0	0	0	0	1407700	703850
47	Kushi Nagar	7322000	3661000	0	0	0	0	0	1248800	624400
48	Lalitpur	2504400	1252200	0	0	0	0	0	427000	213500
49	Lucknow	15035200	7517600	74000	74000	114000	52500	70000	1609300	804650
50	Maharajganj	5480800	2740400	0	0	0	0	0	934850	467425
51	Mahoba	1801600	900800	0	0	0	0	0	307300	153650
52	Mainpuri	3798400	1899200	0	0	0	0	0	647850	323925
53	Mathura	5226800	2613400	120000	104000	132000	150000	200000	891450	445725
54	MAU	4534400	2267200	0	0	0	0	0	773500	386750
55	Meerut	15088800	7544400	186000	186000	186000	150000	200000	1208900	604450
56	MIRZAPUR	5129600	2564800	0	0	0	0	0	875000	437500
57	Moradabad	9747600	4873800	134000	134000	132000	150000	200000	1260000	630000
58	Muzaffar Nagar	6042800	3021400	0	0	0	0	0	1030400	515200
59	Pilibhit	4189200	2094600	0	0	0	0	0	714350	357175
60	Pratapgarh	6526000	3263000	0	0	0	0	0	1113000	556500
61	Raebareli	6999600	3499800	0	0	0	0	0	1193850	596925
62	Rampur	5419200	2709600	0	0	0	0	0	924700	462350
63	Saharanpur	7123600	3561800	0	0	0	0	0	1214850	607425
64	Sambhal	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
65	Sant Kabir Nagar	3525200	1762600	0	0	0	0	0	601300	300650
66	Sant Ravidas Nagar	3196000	1598000	0	0	0	0	0	544950	272475

[illegible]	Shahjahanpur	6173600	3086800	0	0	0	0	0	1052800	526400
68	Shamali	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
69	Shrawasti	2292000	1146000	0	0	0	0	0	390950	195475
70	Siddharth Nagar	5250800	2625400	0	0	0	0	0	895650	447825
71	Sitapur	7201200	3600600	134000	134000	132000	150000	200000	1569050	784525
72	Sonbhadra	3830000	1915000	0	0	0	0	0	653100	326550
73	Sultanpur	4710800	2355400	0	0	0	0	0	803250	401625
74	Unnao	6396400	3198200	0	0	0	0	0	1090950	545475
75	Varanasi	10588800	5294400	186000	186000	186000	150000	200000	1396500	698250
Total UP		**454400000**	**227200000**	**2362000**	**2346000**	**2334000**	**2640000**	**3520000**	**70000000**	**35000000**

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम वि0 वर्ष 2018–19 की मंदवार विवरण

Sl.	District Name	F.M.R-2.3.2.4 Eye Donation to Eye Banks	F.M.R-6.1.3.1.d Mo.Op. Eq.-AMC	F.M.R-6.1.1.19c Vision Centres	F.M.R-8.1.3.5 Sal.Opthalmologist +5% increment of existing Staff	F.M.R-8.1.13.16 Ophth Assistant +5% increment of existing Staff	F.M.R-8.1.13.1 Greef Councellor +5% increment of existing Staff	F.M.R-16.8.3.1.9 DEO +5% increment of existing Staff	F.M.R-16.1 Other District Activities (Office Expenses)	Total Allotment for Districts
		J	K	L	M	N	O	P	Q	(A to Q)
1	Agra	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**25798580**
2	Aligarh	200000	100000	100000	792000	144000	198450	105840	100000	**23132415**
3	Allahabad	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**31740330**
4	Ambedkar Nagar	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**10016775**
5	Amethi	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5821515**
6	Amroha (JP Nagar)	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5961390**
7	Auraiya	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**5350875**
8	Azamgarh	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12873690**
9	Baghpat	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5107365**
10	Bahraich	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**13914825**
11	Ballia	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12044790**
12	Balrampur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**8164965**
13	Banda	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6903015**
14	Barabanki	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**13119600**
15	Bareilly	200000	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**18726450**
16	Basti	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9786190**
17	Bijnor	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**14457465**
18	Budaun	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13810440**
19	Bulandshaha	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13036965**
20	Chandauli	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6372840**
21	Chitrakoot	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**3982965**
22	Deoria	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11593365**
23	Etah	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6764865**
24	Etawah	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**7139130**
25	Faizabad	0	100000	100000	792000	144000	0	105840	100000	**10253565**
26	Farukkhabad	0	100000	100000	792000	158760	0	96000	100000	**8161935**

27	Fatehpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9911190**
28	Firozabad	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**10452330**
29	Gautam Buddha Nagar	300000	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**8542350**
30	Ghaziabad	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**17243100**
31	Ghazipur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**13476150**
32	Gonda	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**13826730**
33	Gorakhpur	100000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**21951455**
34	Hamirpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**4392090**
35	Hapur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4728450**
36	Hardoi	0	100000	100000	792000	144000	0	105840	100000	**16114140**
37	Hathras	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**6049125**
38	Jalaun	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**7388850**
39	Jaunpur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**16556625**
40	Jhansi	0	100000	100000	792000	158760	180036	105840	100000	**15808261**
41	Kannauj	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**7342425**
42	Kanpur Dehat	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6887115**
43	Kanpur Nagar	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**28394580**
44	Kasganj	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5598165**
45	Kaushambi	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6171240**
46	Lakhimpur Kheri	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**15823350**
47	Kushi Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13262040**
48	Lalitpur	0	100000	100000	792000	144000		96000	100000	**5729100**
49	Lucknow	400000	100000	100000	792000	144000	198450	96000	100000	**27281700**
50	Maharajganj	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**10019475**
51	Mahoba	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**3569190**
52	Mainpuri	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**7075215**
53	Mathura	200000	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**10489215**
54	MAU	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**8357850**
55	Meerut	300000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**27290780**
56	MIRZAPUR	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**10338900**
57	Moradabad	300000	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**18999180**
58	Muzaffar Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11015640**
59	Pilibhit	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**7751325**
60	Pratapgarh	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11864340**
61	Raebareli	0	100000	100000	873180	158760		105840	100000	**13727955**
62	Rampur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9921690**
63	Saharanpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12913515**
64	Sambhal	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4728450**
65	Sant Kabir Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6595590**
66	Sant Ravidas Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6017265**
67	Shahjahanpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11245440**
68	Shamali	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**4738290**
69	Shrawasti	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4420425**
70	Siddharth Nagar	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**9615675**

1	Sitapur	0	100000	100000	791400	144000	0	96000	100000	**15236775**
72	Sonbhadra	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**7120650**
73	Sultanpur	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**9603075**
74	Unnao	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11636865**
75	Varanasi	500000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**21022180**
Total UP		**3100000**	**7500000**	**7500000**	**23068380**	**4312440**	**1767636**	**7731360**	**7500000**	**862281816**

1. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

2. धनराशि का स्वीकृत मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

5. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

नवीन मंद सं0 –15.6.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.1) मोतियाबिन्द ऑपरेशन **एन0जी0ओ0**/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा **रू 2000/आपरेशन प्रति केस की दर** से भुगतान किया जाना है।

नवीन मंद सं0 –6.2.15.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–16.2.11.4ए) मोतियाबिन्द ऑपरेशन **राजकीय क्षेत्र** के चिकित्सालयों द्वारा **रू 1000/आपरेशन की अधिकतम दर से** आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।

नवीन मंद सं0–15.6.2.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Diabitic Retonopathy होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Glaucoma होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.4 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Keratoplasty होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.5 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Vitreoretinal Surgeary होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.3) स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00/प्रति केस की दर से एवं रू0 350.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.4) राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –2.3.2.4 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.5) नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

नवीन मंद सं0 –6.1.3.1.डी (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.8) चिकित्सालयों में उपलब्ध नेत्र शल्यकिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव (AMC) का 1.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार अनुबन्ध करना।

नवीन मंद सं0 –6.1.1.19.सी (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–2.3) इस वर्ष प्रदेश के 75 जनपदों में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना पर रू0 1.00 लाख तक का व्यय किया जाना। राज्य स्तर से प्रत्येक वर्ष ये देखा गया है कि जनपदों द्वारा विजन सेन्टर के व्यय एवं मानकों के अनुरूप आपेक्षित सुढ़णीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसका अनुपालन जनपद द्वारा शत–प्रतिशत किया जाना आपेक्षित है।

नवीन मंद सं0 –8.1.3.5 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.3.4) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों में से 11 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 नेत्रशल्यक की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 60.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति की गई थी। उक्त नेत्रशल्यक की संविदा सेंवाएं को वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 72765 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। संविदा नेत्रशल्यक की संविदा नियुक्ति विगत वर्ष नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –8.1.13.16 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.11.13) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों में से 19 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 आप्टोमेट्रिस्ट की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 13230 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। जिन जनपदों में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की संविदा नियुक्ति विगत वर्ष नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –8.1.13.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.11.1) प्रदेश के पंजीकृत राजकीय क्षेत्र के 9 आई बैंको में प्रति एक आई डोनेशन काउन्सलर (ग्रीफ काउन्सलर) आई बैक की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुयी है तद्क्रम में पूर्व से कार्यरत 08 आई डोनेशन काउन्सलर (ग्रीफ काउन्सलर) आई बैक हेतु रू0 16537.00 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। 01 मेडिकल कॉलेज में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की संविदा नियुक्ति नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –16.8.3.1.9 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–3.4) प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 54 जनपदों में पूर्व से कार्यरत एक डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए निर्धारित दर रू0 8820.00 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। शेष 21 जनपदों में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की नियुक्ति नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं एवं 21 जनपदों द्वारा राज्य स्तर से नियुक्ति होने तक राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति माह रू0 8000.00 की दर से कार्यक्रम हित में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है, जिसकी पूर्व स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करना वांछिनीय होगा।

नवीन मंद सं0 –16.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–4.1) प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यालय व्यय(स्टेशनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) हेतु रू0 1,00,000 तक की धनराशि 2018–19 में प्रति जनपद व्यय किया जाना। राज्य स्तर से गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता के कार्यालय उपयोग हेतु 01 कम्प्यूटर 01 मय स्कैनर प्रिन्टर, 01 यू0पी0एस0 का नियमतः कय किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, किन्तु यदि जनपद द्वारा अमुक्क मंद से राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 कम्प्यूटर मय 01 प्रिटर एवं यू0पी0एस0 क्रय नहीं किया जा सका है और वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्बन्धित धनराशि On going मंद में जनपद द्वारा रक्षित भी न होने की दशा में जनपद द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला स्वास्थ्य समिति में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता के कार्यालय उपयोग हेतु 01 कम्प्यूटर 01 मय स्कैनर प्रिन्टर, 01 यू0पी0एस0 का क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में मंद सं0 – 16.1 की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अन्दर नियमतः क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु उक्त क्रय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तत्वों के साथ जिला स्वास्थ्य समिति में क्रय के पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

6. मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड –6.2.15.1 राजकीय क्षेत्र एवं 15.6.1 स्वैच्छिक संस्था

- मोतियाबिन्द आपरेशनों के जनपदवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाये।

- लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत ऑपरेशन आई0ओ0एल0/एस0आई0सी0एस0/फेको विधि से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वर्ष 2018–19 से राजकीय क्षेत्र में किये गये मोतियाबिन्द आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा संशोधित दर (रू0 1000/प्रति आपरेशन अधिकतम) की दर से किया जायेगा, जिसमें कन्ज्यूमेबिल्स, लेन्स एवं दवाएं आदि क्रय की जा सकती हैं।
- जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा संशोधित दर (रू0 2000/प्रति आपरेशन अधिकतम) पर नियमानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार सत्यापन तथा एम0आई0एस0 पोर्टल पर लोड करने के उपरान्त किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाये।
- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर दो वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले आपरेशनों में से उन्हे सहयोग करने वाली नान सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं, आशा कार्यकर्ती, पंचायत कर्मी, आई0सी0डी0एस कर्मियों को मोतियाबिन्द ग्रसित रोगियों की पहचान कर आपरेशन हेतु आपरेशन स्थल तक लाने, आपरेशन कराकर घर वापस ले जाने तथा पूर्ण फालोअप कराने हेतु अधिकतम रू0 350.00 प्रति आपरेशन की दर से धनराशि प्रदान किया जाना अनुमन्य है जो सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रतिआपरेशन रू0 2000.00 की धनराशि में से उन्ही के द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 45 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके उपरान्त कोई भी दावा भुगतान योग्य नही माना जायेगा तथा देर से प्राप्त बिल भुगतान हेतु अनुमन्य नही होंगें। भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत केसों का जनपद स्तर से भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नही किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्गित जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यकिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 25 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 25 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद द्वारा उपरोक्त अनुपात मंद परिवर्तन नहीं कर सकते है, यदि जनपद द्वारा मंद परिवर्तन पाया जाने कि स्थिति में उसे वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद की होगी।

7. <u>मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा एफ0एम0आर0 कोड 15.6.2.1 से 15.6.2.5 तक</u>

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2018–19 हेतु रोगानुसार प्राप्त लक्ष्यों को प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का ईलाज सम्भव हो उन्हें स्वीकृत धनरशि नियमतः अवमुक्त किया जा रहा है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।

- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु योग्य स्वैच्छिक संस्थाओं/प्राईवेट चिकित्सालयों को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराकर ही ग्लूकोमा आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा चाईल्डहूड ब्लान्डनेस हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार है।

1.	डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन,
2.	चाईल्डहूड ब्लान्डनेस	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन
3.	ग्लूकोमा आपरेशन	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन
4.	कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन(किरैटो प्लास्टी)	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 7500 प्रति आपरेशन
5.	विट्रियोरेटिनल सर्जिरी	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 10000 प्रति आपरेशन

उपरोक्त रोगो के इलाज चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 साफटवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- मोतियाबिन्द हेतु स्कीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिशचित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंग किये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।
- उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा–निदेर्शो को **npcb.nic.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण एफ0एम0आर0 कोड – 2.3.3.2

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के(ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 8–14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 350.00 की अधिकतम धनराशि प्राविधानित की गई है।
- सभी स्कूलों की दो–दों अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर(जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चें के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्रपरीक्षणोंउपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा काड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- बच्चों एवं बुजुर्गो को प्रदान किये जाने वाले चश्मों की अधिकतम स्वीकृति रू0 350 की सीमा के भीतर कय हेतु नियमतः टेन्डर माह सिंतबर, 2018 तक कराया कराया जाये जिससे कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में बच्चों एवं बुजुर्गो के चश्मो का लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि जनपद स्तर से शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।
- स्कूली बच्चों को उपयुक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यकम अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्रशल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्कीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

9. राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण–एफ0एम0आर0 कोड– 2.3.3.3

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृष्टिदोष से ग्रसित 45 वर्ष आयु से अधिक के मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी वर्ष 2018–19 में 1 लाख चश्में रू 350 प्रति चश्में की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः उक्त लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्रशल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के

उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिर्पोट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

10. **नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट एफ0एम0आर0 कोड – 2.3.2.4** जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000/– प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्रबैक द्वारा रू0 1000/– प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

11. **प्रचार–प्रसार एफ0एम0आर0 कोड – 11.18.1**

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत कार्यकम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैं:–

1. नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
2. विश्व दृष्टि दिवस(अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु तदृसमय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेंगी। उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जनपद स्तर हेतु अनुमोदित नही की गई है, धनराशि प्राप्त होने की दशा में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको भारत सरकार द्वारा दिशा–निदेर्शो को **npcb.nic.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. **प्रदेश के चिकित्सालयो में उपलब्ध नेत्र चिकित्सा के उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत हेतु एफ0एम0आर0 कोड –6.1.3.1.डी**

- अंधता निवारण कार्यक्रम से संबंधित मोतियाबिन्द आपरेशनों में प्रयोग होने वाले उपकरणों को हर सम्भव कियाशील रखना सुनिश्चित करें।
- जिसके लिए मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आबंटित धनराशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रति जनपद रू0 1.00 लाख उपलब्ध कराई गई है जो जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड (6.1.3.1–डी) में उपलब्ध कराई जा रही है। जनपदों के जिला चिकित्सालयों/अन्य नेत्ररोग चिकित्सालयों में उपलब्ध नेत्रउपचार के ऐसे उपकरण जिनकी गारन्टी/वारण्टी समाप्त हो चुकी हों का नियमानुसार मेन्टीनेन्स तथा ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्मो से ही जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के उपरान्त कराई जायेगी।

13. **प्रदेश के 75 जनपदों में प्रति जनपद एक विज़न सेन्टर्स की स्थापना एफ0एम0आर0 कोड** – 6.1.1.19.सी

- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- प्राथमिक नेत्रउपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण कय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष नवीन 75 विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000/– की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार निम्न तालिका में प्रदर्शित किट कय की जानी है।

Equipment/Furnishing					
1	Tonometers(Schiotz)	4	Trail Lens Sets with Trail Frames	7	Furnishing & Fixtures
2	Direct Ophthalmoscope	5	Snellen & Near Vison Charts	8	Slit Lamp
3	Illuminated Vision Testing Drum	6	Battery Operated Torch(2)	9	EPilation Forceps Xylocaine Eye Drops 4%
Maximum Assistance = Rs. 100000					

- उपरोक्त सामग्री का क्रय विभागीय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये।

सामान्य निर्देश:–ग्रान्ट का व्यय निम्नानुसार मदों में किया जाना है:–

14. **मोतियाबिन्द आपरेशन में आबंटित धनराशि का प्रयोग:–** राजकीय क्षेत्र में कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण / औज़ार का कय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रखरखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यकम में भारत

सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो www.npcb.nic.in and mohfw.nic.in के अनुसार देय होगें। सभी जनपदों से यह अपेक्षा की जाती है कि नेट पर उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध भारत सरकार की नई गाईड लाईन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में रखें तथा कार्यक्रम की अनुमोदित मदों एवं दरों के अनुसार ही डी0एच0एस0 से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यक्रम का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करायें।

- राजकीय क्षेत्र में होने वाले आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय उ0प्र0सरकार द्वारा जारी नवीनतम क्रय नियमों तथा भारत सरकार की उक्त वेब साईट पर जारी गाईड लाइन में उल्लिखित क्रय प्रकिया के अनुसार कर चिकित्सालयों को समय से उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आपरेशनों के समय चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाली सामग्री (कल्ज्यूमेबिल्स, लेन्स, दवायें, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल्स) की कमी के कारण चिकित्सालयों में नेत्रशल्यकों/मरीजों को परेशानी न हो।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।
- जनपद में पूर्व से कार्यरत संविदा चिकित्सक, पैरा मैडिकल एवं डी0ई0ओ0 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं ई0पी0एफ0 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि की अग्रत्तर अनुपालन मानव संसाधन इकाई, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित कर्मी जो ई0पी0एफ0 की श्रीणी में आते है तद्क्रम में जनपद स्तर से ई0पी0एफ् कटौती किये जाने के संदर्भ में एच0आर0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 से समन्वय स्थापित करते हुये ससमय ई0पी0एफ0 की कटौती प्रति माह वेतन आरहण के साथ की जायेगी।

15 प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

16. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

18. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

19. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

20. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:— SPMU / NCD / NPCB / Main File/2018-19/01A/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई—मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0:— SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ दिनांक 17/9/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यकम की वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा—निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018—19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत कुल रू0 **917610182.60** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **862281816.00** की धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम वि0 वर्ष 2018—19 की मंदवार विवरण										
S.No	District Name	F.M.R-15.6.1 Cat.Ope. By NGO @2000 /Per	F.M.R-6.2.15.1 Cat.Ope.By Govt. Sec @1000/Per	F.M.R-15.6.2.1 Diabitic Retonopathy @ 2000/ Per	F.M.R-15.6.2.2 Childhood Blindness @ 2000/per	F.M.R-15.6.2.3 Glaucoma @2000/per	F.M.R-15.6.2.4 Keratoplasty @7500/per	F.M.R-15.6.2.5 Vitreoretinal Surgeary@ 10000/per	F.M.R-2.3.3.2 Free Spect. Sch. Children@350/ Per	F.M.R-2.3.3.3 Free Spect Old Peoples@350/ Per
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Agra	13808400	6904200	140000	140000	140000	225000	300000	1536500	768250
2	Aligarh	12354400	6177200	146000	146000	146000	210000	280000	1288350	644175
3	Allahabad	17055200	8527600	214000	214000	198000	240000	320000	2090200	1045100
4	Ambedkar Nagar	4932400	2466200	0	0	0	0	0	841050	420525
5	Amethi	3084400	1542200	0	0	0	0	0	526050	263025
6	Amroha (JP Nagar)	3164000	1582000	0	0	0	0	0	539700	269850
7	Auraiya	2822000	1411000	0	0	0	0	0	481250	240625
8	Azamgarh	6692800	3346400	0	0	0	0	0	1619100	809550
9	Baghpat	2677600	1338800	0	0	0	0	0	456750	228375
10	Bahraich	7152400	3576200	0	0	0	0	0	1219750	609875
11	Ballia	6628800	3314400	0	0	0	0	0	1130500	565250
12	Balrampur	4419200	2209600	0	0	0	0	0	753550	376775
13	Banda	3700400	1850200	0	0	0	0	0	631050	315525
14	Barabanki	6699600	3349800	0	0	0	0	0	1142400	571200
15	Bareilly	9182000	4591000	186000	186000	186000	210000	280000	1565900	782950
16	Basti	5060800	2530400	96000	96000	40000	112500	150000	863100	431550
17	Bijnor	7575200	3787600	134000	134000	132000	150000	200000	1292550	646275
18	Budaun	7634400	3817200	0	0	0	0	0	1302000	651000
19	Bulandshaha	7194000	3597000	0	0	0	0	0	1226750	613375
20	Chandauli	3398400	1699200	0	0	0	0	0	579600	289800
21	Chitrakoot	2037200	1018600	0	0	0	0	0	347550	173775
22	Deoria	6371600	3185800	0	0	0	0	0	1086750	543375

23	Etah	3621600	1810800	0	0	0	0	0	617750	308875
24	Etawah	3247200	1623600	0	0	0	0	0	553700	276850
25	Faizabad	5075600	2537800	0	0	0	0	0	865550	432775
26	Farukkhabad	3881600	1940800	0	0	0	0	0	661850	330925
27	Fatehpur	5413600	2706800	0	0	0	0	0	923300	461650
28	Firozabad	5134000	2567000	0	0	0	0	0	875700	437850
29	Gautam Buddha Nagar	4643600	2321800	0	0	0	0	0	587300	293650
30	Ghaziabad	9517600	4758800	134000	134000	132000	150000	200000	1213800	606900
31	Ghazipur	7449600	3724800	0	0	0	0	0	1270500	635250
32	Gonda	7056000	3528000	0	0	0	0	0	1203300	601650
33	Gorakhpur	11522400	5761200	106000	106000	106000	120000	160000	1555750	777875
34	Hamirpur	2270400	1135200	0	0	0	0	0	387100	193550
35	Hapur	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
36	Hardoi	8413200	4206600	0	0	0	0	0	1435000	717500
37	Hathras	3219600	1609800	0	0	0	0	0	549150	274575
38	Jalaun	3435600	1717800	0	0	0	0	0	585900	292950
39	Jaunpur	9204000	4602000	0	0	0	0	0	1569750	784875
40	Jhansi	8114000	4057000	186000	186000	186000	210000	280000	701750	350875
41	Kannauj	3409200	1704600	0	0	0	0	0	581350	290675
42	Kanpur Dehat	3691200	1845600	0	0	0	0	0	629650	314825
43	Kanpur Nagar	15403200	7701600	186000	186000	186000	210000	280000	1603700	801850
44	Kasganj	2957200	1478600	0	0	0	0	0	504350	252175
45	Kaushambi	3283600	1641800	0	0	0	0	0	560000	280000
46	Lakhimpur Kheri	8253200	4126600	0	0	0	0	0	1407700	703850
47	Kushi Nagar	7322000	3661000	0	0	0	0	0	1248800	624400
48	Lalitpur	2504400	1252200	0	0	0	0	0	427000	213500
49	Lucknow	15035200	7517600	74000	74000	114000	52500	70000	1609300	804650
50	Maharajganj	5480800	2740400	0	0	0	0	0	934850	467425
51	Mahoba	1801600	900800	0	0	0	0	0	307300	153650
52	Mainpuri	3798400	1899200	0	0	0	0	0	647850	323925
53	Mathura	5226800	2613400	120000	104000	132000	150000	200000	891450	445725
54	MAU	4534400	2267200	0	0	0	0	0	773500	386750
55	Meerut	15088800	7544400	186000	186000	186000	150000	200000	1208900	604450
56	MIRZAPUR	5129600	2564800	0	0	0	0	0	875000	437500
57	Moradabad	9747600	4873800	134000	134000	132000	150000	200000	1260000	630000
58	Muzaffar Nagar	6042800	3021400	0	0	0	0	0	1030400	515200
59	Pilibhit	4189200	2094600	0	0	0	0	0	714350	357175
60	Pratapgarh	6526000	3263000	0	0	0	0	0	1113000	556500
61	Raebareli	6999600	3499800	0	0	0	0	0	1193850	596925
62	Rampur	5419200	2709600	0	0	0	0	0	924700	462350
63	Saharanpur	7123600	3561800	0	0	0	0	0	1214850	607425
64	Sambhal	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
65	Sant Kabir Nagar	3525200	1762600	0	0	0	0	0	601300	300650
66	Sant Ravidas Nagar	3196000	1598000	0	0	0	0	0	544950	272475

	Shahjahanpur	6173600	3086800	0	0	0	0	0	1052800	526400
68	Shamali	2467600	1233800	0	0	0	0	0	420700	210350
69	Shrawasti	2292000	1146000	0	0	0	0	0	390950	195475
70	Siddharth Nagar	5250800	2625400	0	0	0	0	0	895650	447825
71	Sitapur	7201200	3600600	134000	134000	132000	150000	200000	1569050	784525
72	Sonbhadra	3830000	1915000	0	0	0	0	0	653100	326550
73	Sultanpur	4710800	2355400	0	0	0	0	0	803250	401625
74	Unnao	6396400	3198200	0	0	0	0	0	1090950	545475
75	Varanasi	10588800	5294400	186000	186000	186000	150000	200000	1396500	698250
Total UP		**454400000**	**227200000**	**2362000**	**2346000**	**2334000**	**2640000**	**3520000**	**70000000**	**35000000**

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम वि0 वर्ष 2018–19 की मंदवार विवरण										
Sl.	District Name	F.M.R-2.3.2.4 Eye Donation to Eye Banks	F.M.R-6.1.3.1.d Mo.Op. Eq.-AMC	F.M.R-6.1.1.19c Vision Centres	F.M.R-8.1.3.5 Sal.Opthalmologist +5% increment of existing Staff	F.M.R-8.1.13.16 Ophth Assistant +5% increment of existing Staff	F.M.R-8.1.13.1 Greef Councellor +5% increment of existing Staff	F.M.R-16.8.3.1.9 DEO +5% increment of existing Staff	F.M.R-16.1 Other District Activities (Office Expenses)	Total Allotment for Districts
		J	K	L	M	N	O	P	Q	(A to Q)
1	Agra	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**25798580**
2	Aligarh	200000	100000	100000	792000	144000	198450	105840	100000	**23132415**
3	Allahabad	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**31740330**
4	Ambedkar Nagar	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**10016775**
5	Amethi	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5821515**
6	Amroha (JP Nagar)	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5961390**
7	Auraiya	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**5350875**
8	Azamgarh	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12873690**
9	Baghpat	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5107365**
10	Bahraich	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**13914825**
11	Ballia	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12044790**
12	Balrampur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**8164965**
13	Banda	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6903015**
14	Barabanki	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**13119600**
15	Bareilly	200000	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**18726450**
16	Basti	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9786190**
17	Bijnor	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**14457465**
18	Budaun	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13810440**
19	Bulandshaha	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13036965**
20	Chandauli	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6372840**
21	Chitrakoot	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**3982965**
22	Deoria .	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11593365**
23	Etah	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6764865**
24	Etawah	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**7139130**
25	Faizabad	0	100000	100000	792000	144000	0	105840	100000	**10253565**
26	Farukkhabad	0	100000	100000	792000	158760	0	96000	100000	**8161935**

27	Fatehpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9911190**
28	Firozabad	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**10452330**
29	Gautam Buddha Nagar	300000	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**8542350**
30	Ghaziabad	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**17243100**
31	Ghazipur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**13476150**
32	Gonda	0	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**13826730**
33	Gorakhpur	100000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**21951455**
34	Hamirpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**4392090**
35	Hapur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4728450**
36	Hardoi	0	100000	100000	792000	144000	0	105840	100000	**16114140**
37	Hathras	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**6049125**
38	Jalaun	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**7388850**
39	Jaunpur	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**16556625**
40	Jhansi	0	100000	100000	792000	158760	180036	105840	100000	**15808261**
41	Kannauj	0	100000	100000	792000	158760	0	105840	100000	**7342425**
42	Kanpur Dehat	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6887115**
43	Kanpur Nagar	200000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**28394580**
44	Kasganj	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**5598165**
45	Kaushambi	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6171240**
46	Lakhimpur Kheri	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**15823350**
47	Kushi Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**13262040**
48	Lalitpur	0	100000	100000	792000	144000		96000	100000	**5729100**
49	Lucknow	400000	100000	100000	792000	144000	198450	96000	100000	**27281700**
50	Maharajganj	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**10019475**
51	Mahoba	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**3569190**
52	Mainpuri	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**7075215**
53	Mathura	200000	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**10489215**
54	MAU	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**8357850**
55	Meerut	300000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**27290780**
56	MIRZAPUR	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**10338900**
57	Moradabad	300000	100000	100000	873180	158760	0	105840	100000	**18999180**
58	Muzaffar Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11015640**
59	Pilibhit	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**7751325**
60	Pratapgarh	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11864340**
61	Raebareli	0	100000	100000	873180	158760		105840	100000	**13727955**
62	Rampur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**9921690**
63	Saharanpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**12913515**
64	Sambhal	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4728450**
65	Sant Kabir Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6595590**
66	Sant Ravidas Nagar	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**6017265**
67	Shahjahanpur	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11245440**
68	Shamali	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**4738290**
69	Shrawasti	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**4420425**
70	Siddharth Nagar	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**9615675**

	Sitapur	0	100000	100000	791400	144000	0	96000	100000	**15236775**
72	Sonbhadra	0	100000	100000	0	0	0	96000	100000	**7120650**
73	Sultanpur	0	100000	100000	792000	144000	0	96000	100000	**9603075**
74	Unnao	0	100000	100000	0	0	0	105840	100000	**11636865**
75	Varanasi	500000	100000	100000	873180	158760	198450	105840	100000	**21022180**
Total UP		**3100000**	**7500000**	**7500000**	**23068380**	**4312440**	**1767636**	**7731360**	**7500000**	**862281816**

1. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

2. धनराशि का स्वीकृत मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

5. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

नवीन मंद सं0 –15.6.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.1) मोतियाबिन्द ऑपरेशन **एन0जी0ओ0**/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा **रू 2000/आपरेशन प्रति केस की दर** से भुगतान किया जाना है।

नवीन मंद सं0 –6.2.15.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–16.2.11.4ए) मोतियाबिन्द ऑपरेशन **राजकीय क्षेत्र** के चिकित्सालयों द्वारा **रू 1000/आपरेशन की अधिकतम दर से** आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।

नवीन मंद सं0–15.6.2.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Diabitic Retonopathy होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Glaucoma होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 2000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.4 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Keratoplasty होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –15.6.2.5 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.2) Vitreoretinal Surgeary होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10000.00 प्रति केस की दर से किया जाना।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.3) स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00/प्रति केस की दर से एवं रू0 350.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.4) राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –2.3.2.4 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.5) नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

नवीन मंद सं0 –6.1.3.1.डी (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.8) चिकित्सालयों में उपलब्ध नेत्र शल्यक्रिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव (AMC) का 1.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार अनुबन्ध करना।

नवीन मंद सं0 –6.1.1.19.सी (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–2.3) इस वर्ष प्रदेश के 75 जनपदों में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना पर रू0 1.00 लाख तक का व्यय किया जाना। राज्य स्तर से प्रत्येक वर्ष ये देखा गया है कि जनपदों द्वारा विजन सेन्टर के व्यय एवं मानकों के अनुरूप आपेक्षित सुढ़णीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसका अनुपालन जनपद द्वारा शत–प्रतिशत किया जाना आपेक्षित है।

नवीन मंद सं0 –8.1.3.5 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.3.4) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों में से 11 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 नेत्रशल्यक की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 60.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति की गई थी। उक्त नेत्रशल्यक की संविदा सेंवाएं को वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 72765 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। संविदा नेत्रशल्यक की संविदा नियुक्ति विगत वर्ष नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –8.1.13.16 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.11.13) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों में से 19 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 आप्टोमेट्रिस्ट की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 13230 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। जिन जनपदों में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की संविदा नियुक्ति विगत वर्ष नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –8.1.13.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 बी–30.11.1) प्रदेश के पंजीकृत राजकीय क्षेत्र के 9 आई बैंको में प्रति एक आई डोनेशन काउन्सलर (ग्रीफ काउन्सलर) आई बैक की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुयी है तद्क्रम में पूर्व से कार्यरत 08 आई डोनेशन काउन्सलर (ग्रीफ काउन्सलर) आई बैक हेतु रू0 16537.00 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। 01 मेडिकल कॉलेज में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की संविदा नियुक्ति नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं।

नवीन मंद सं0 –16.8.3.1.9 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–3.4) प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 54 जनपदों में पूर्व से कार्यरत एक डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए निर्धारित दर रू0 8820.00 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वेतन वार्षिक वृद्धि की दर से सेवा विस्तार करना। शेष 21 जनपदों में विगत वर्ष में संविदा कार्मिक की नियुक्ति नही की गई है वहां नई संविदा नियुक्तियां राज्य स्तर पर एन0एच0एम0 के माध्यम से किया जाना हैं एवं 21 जनपदों द्वारा राज्य स्तर से नियुक्ति होने तक राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति माह रू0 8000.00 की दर से कार्यक्रम हित में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है, जिसकी पूर्व स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करना वांछिनीय होगा।

नवीन मंद सं0 –16.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–4.1) प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यालय व्यय(स्टेशनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) हेतु रू0 1,00,000 तक की धनराशि 2018–19 में प्रति जनपद व्यय किया जाना। राज्य स्तर से गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता के कार्यालय उपयोग हेतु 01 कम्प्यूटर 01 मय स्कैनर प्रिन्टर, 01 यू0पी0एस0 का नियमतः क्रय किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, किन्तु यदि जनपद द्वारा अमुक्क मंद से राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 कम्प्यूटर मय 01 प्रिटर एवं यू0पी0एस0 क्रय नहीं किया जा सका है और वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्बन्धित धनराशि On going मंद में जनपद द्वारा रक्षित भी न होने की दशा में जनपद द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला स्वास्थ्य समिति में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता के कार्यालय उपयोग हेतु 01 कम्प्यूटर 01 मय स्कैनर प्रिन्टर, 01 यू0पी0एस0 का क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में मंद सं0 – 16.1 की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अन्दर नियमतः क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु उक्त क्रय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तत्वों के साथ जिला स्वास्थ्य समिति में क्रय के पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

6. मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड –6.2.15.1 राजकीय क्षेत्र एवं 15.6.1 स्वैच्छिक संस्था

- मोतियाबिन्द आपरेशनों के जनपदवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाये।

- लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत ऑपरेशन आई0ओ0एल0/एस0आई0सी0एस0/फेको विधि से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वर्ष 2018–19 से राजकीय क्षेत्र में किये गये मोतियाबिन्द आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा संशोधित दर (रू0 1000/प्रति आपरेशन अधिकतम) की दर से किया जायेगा, जिसमें कन्जूमेबिल्स, लेन्स एवं दवाएं आदि क्रय की जा सकती हैं।
- जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा संशोधित दर (रू0 2000/प्रति आपरेशन अधिकतम) पर नियमानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार सत्यापन तथा एम0आई0एस0 पोर्टल पर लोड करने के उपरान्त किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाये।
- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर दो वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले आपरेशनों में से उन्हे सहयोग करने वाली नान सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं, आशा कार्यकर्ती, पंचायत कर्मी, आई0सी0डी0एस कर्मियों को मोतियाबिन्द ग्रसित रोगियों की पहचान कर आपरेशन हेतु आपरेशन स्थल तक लाने, आपरेशन कराकर धर वापस ले जाने तथा पूर्ण फालोअप कराने हेतु अधिकतम रू0 350.00 प्रति आपरेशन की दर से धनराशि प्रदान किया जाना अनुमन्य है जो सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रतिआपरेशन रू0 2000.00 की धनराशि में से उन्ही के द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 45 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके उपरान्त कोई भी दावा भुगतान योग्य नही माना जायेगा तथा देर से प्राप्त बिल भुगतान हेतु अनुमन्य नही होंगें। भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत केसों का जनपद स्तर से भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नही किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यकिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 25 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 25 प्रतिशत कार्यकम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद द्वारा उपरोक्त अनुपात मंद परिवर्तन नहीं कर सकते है, यदि जनपद द्वारा मंद परिवर्तन पाया जाने कि स्थिति में उसे वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद की होगी।

7. मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा एफ0एम0आर0 कोड 15.6.2.1 से 15.6.2.5 तक

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2018–19 हेतु रोगानुसार प्राप्त लक्ष्यों को प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का ईलाज सम्भव हो उन्हें स्वीकृत धनरशि नियमतः अवमुक्त किया जा रहा है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।

• उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु योग्य स्वैच्छिक संस्थाओं/प्राईवेट चिकित्सालयों को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराकर ही ग्लूकोमा आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा चाईल्डहूड ब्लान्डनेस हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार है।

1.	डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन,
2.	चाईल्डहूड ब्लान्डनेस	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन
3.	ग्लूकोमा आपरेशन	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 2000 प्रति आपरेशन
4.	कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन(किरौटो प्लास्टी)	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 7500 प्रति आपरेशन
5.	विट्रियोरेटिनल सर्जिरी	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 10000 प्रति आपरेशन

उपरोक्त रोगो के इलाज चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 साफटवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

• मोतियाबिन्द हेतु स्कीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिशचित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंग किये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।

• उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा-निदेशों को **npcb.nic.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण एफ0एम0आर0 कोड – 2.3.3.2

• प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के(ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 8-14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।

• ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।

• भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 350.00 की अधिकतम धनराशि प्राविधानित की गई है।

• सभी स्कूलों की दो-दों अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर(जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चें के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्रपरीक्षणोंउपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा काड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।

• बच्चों एवं बुजुर्गो को प्रदान किये जाने वाले चश्मों की अधिकतम स्वीकृति रू0 350 की सीमा के भीतर क्रय हेतु नियमतः टेन्डर माह सिंतबर, 2018 तक कराया कराया जाये जिससे कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में बच्चों एवं बुजुर्गो के चश्मो का लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि जनपद स्तर से शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।

• स्कूली बच्चों को उपयुक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्रशल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।

• जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

9. राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण-एफ0एम0आर0 कोड- 2.3.3.3

वर्ष 2013-14 से नई गतिविधि के रूप में भारत द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृष्टिदोष से ग्रसित 45 वर्ष आयु से अधिक के मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी वर्ष 2018-19 में 1 लाख चश्में रू 350 प्रति चश्में की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः उक्त लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्रशल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के

उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिर्पोट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

10. **नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट एफ0एम0आर0 कोड – 2.3.2.4** जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000/– प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्रबैक द्वारा रू0 1000/– प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

11. **प्रचार–प्रसार एफ0एम0आर0 कोड – 11.18.1**

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत कार्यकम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैं:–

1. नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
2. विश्व दृष्टि दिवस(अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु तदृसमय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेंगी। उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जनपद स्तर हेतु अनुमोदित नही की गई है, धनराशि प्राप्त होने की दशा में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको भारत सरकार द्वारा दिशा–निदेर्शो को **npcb.nic.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. **प्रदेश के चिकित्सालयो में उपलब्ध नेत्र चिकित्सा के उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत हेतु एफ0एम0आर0 कोड –6.1.3.1.डी**

- अंधता निवारण कार्यकम से संबंधित मोतियाबिन्द आपरेशनों में प्रयोग होने वाले उपकरणों को हर सम्भव कियाशील रखना सुनिश्चित करें।
- जिसके लिए मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आबंटित धनराशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रति जनपद रू0 1.00 लाख उपलब्ध कराई गई है जो जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड (6.1.3.1–डी) में उपलब्ध कराई जा रही है। जनपदों के जिला चिकित्सालयों/अन्य नेत्ररोग चिकित्सालयों में उपलब्ध नेत्रउपचार के ऐसे उपकरण जिनकी गारन्टी/वारण्टी समाप्त हो चुकी हों का नियमानुसार मेन्टीनेन्स तथा ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्मो से ही जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के उपरान्त कराई जायेगी।

13. **प्रदेश के 75 जनपदों में प्रति जनपद एक विज़न सेन्टर्स की स्थापना एफ0एम0आर0 कोड – 6.1.1.19.सी**

- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- प्राथमिक नेत्रउपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण कय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष नवीन 75 विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000/– की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार निम्न तालिका में प्रदर्शित किट कय की जानी है।

Equipment/Furnishing					
1	Tonometers(Schiotz)	4	Trail Lens Sets with Trail Frames	7	Furnishing & Fixtures
2	Direct Ophthalmoscope	5	Snellen & Near Vison Charts	8	Slit Lamp
3	Illuminated Vision Testing Drum	6	Battery Operated Torch(2)	9	EPilation Forceps Xylocaine Eye Drops 4%
Maximum Assistance = Rs. 100000					

- उपरोक्त सामग्री का क्रय विभागीय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये।

सामान्य निर्देशः–ग्रान्ट का व्यय निम्नानुसार मदों में किया जाना है:–

14. **मोतियाबिन्द आपरेशन में आबंटित धनराशि का प्रयोग:–** राजकीय क्षेत्र में कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण / औज़ार का कय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रखरखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यकम में भारत

सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो www.npcb.nic.in and mohfw.nic.in के अनुसार देय होगें। सभी जनपदों से यह अपेक्षा की जाती है कि नेट पर उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध भारत सरकार की नई गाईड लाईन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में रखें तथा कार्यक्रम की अनुमोदित मदों एवं दरों के अनुसार ही डी0एच0एस0 से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यक्रम का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करायें।

- राजकीय क्षेत्र में होने वाले आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय उ0प्र0सरकार द्वारा जारी नवीनतम क्रय नियमों तथा भारत सरकार की उक्त वेब साईट पर जारी गाईड लाईन में उल्लिखित क्रय प्रक्रिया के अनुसार कर चिकित्सालयों को समय से उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आपरेशनों के समय चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाली सामग्री (कल्ज्यूमेबिल्स, लेन्स, दवायें, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल्स) की कमी के कारण चिकित्सालयों में नेत्रशल्यकों/मरीजों को परेशानी न हो।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।
- जनपद में पूर्व से कार्यरत संविदा चिकित्सक, पैरा मैडिकल एवं डी0ई0ओ0 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं ई0पी0एफ0 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि की अग्रत्तर अनुपालन मानव संसाधन इकाई, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित कर्मी जो ई0पी0एफ0 की श्रीणी में आते है तद्क्रम में जनपद स्तर से ई0पी0एफ कटौती किये जाने के संदर्भ में एच0आर0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 से समन्वय स्थापित करते हुये ससमय ई0पी0एफ0 की कटौती प्रति माह वेतन आरहण के साथ की जायेगी।

15 प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

16. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

18. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

19. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

20. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ 6598-75(9) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यकम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0